FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 15/07/2025 20:12 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	318(4)
4	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 27/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 15/07/2025

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 18:50 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/07/2025 **Time (समय):** 18:50 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date and Time (दिनांक और समय):** 15/07/2025 18:50 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी,शहरी सम्पदा पंचकुला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Insp. Surender Singh CP17

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/04/1969 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9467505942

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	शिवराज सिंह नायब तहसीलदार			1. कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी,शहरी सम्पदा पचंकूला PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	अमन जैन			1. UNKNOW ADD,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	व अन्य			1. UNKNOW ADD,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है
सेवा में,
प्रबंधक, थाना राज्य सतर्कता
एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला ।
श्रीमान जी,

1. निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री दीदार सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी कुरूक्षेत्र की शिकायत दिनांक 27.06.2024 के सन्दर्भ में, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा CRM-M-44769 of 2024 दीदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 की अनुपालना में, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 58/17/2024-1VII दिनांक 10.01.2025 तथा अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के पृष्ठांकन क्रमांक 660/Secret/ACB (H) दिनांक 11.01.2025 के अनुसार जांच क्रमांक 01 दिनांक 11.01.2025 पंचकूला दर्ज रजिस्टर की गई। जिसमें निम्न आरोप की पडताल की जानी थी जिसका सार इस प्रकार से है कि शिकायतकर्ता दीदार सिंह उपरोक्त की पत्नी श्रीमति बलविन्द्र कौर के नाम मौजा रतगल थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में नजदीक बस स्टैण्ड, विधाता कम्पलैक्स में एक दुकान नम्बर 55 ए है। इस दुकान के सामने से सीवर लाईन व उसके साथ एक सडक सीधी सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की तरफ जा रही है और इस दुकान को रास्ता इसी सडक से लगता है। यह 2 कनाल 19 मरला भूमि जो वर्ष 1976 में खसरा सं. 3//16 कुल भूमि (6-19 मरले) का अभिन्न अंग थी जो सोनिका जैन के पूर्वजों के स्वामित्व में थी तथा इस भूमि को वर्ष 1980 में विभाजित कर खसरा सं. 3/ /16/3 पूर्व (2) कनाल 19 मरला) सरकार द्वारा दिनांक 12.04.1990 के अवार्ड सं. 02 के तहत सैक्टर-13 और 7 शहरी सम्पदा कुरुक्षेत्र के सिवरेज जल निकासी से लेकर सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट तक सिवरेज लाईन का निर्माण करने के लिए अधिग्रहण किया गया था। जमीन के मालिकों द्वारा अधिग्रहण राशि भी सरकार से प्राप्त की जा चुकी है । अधिग्रहण के बावजूद किसी भूलचुक वश राजस्व रिकार्ड में खाना मलकियत में भूमि मालिक में श्रीमति सोनिका जैन के पूर्वजों का नाम दर्शाया जाता रहा परन्तु इस गलती को अब दुरुस्त कर लिया गया है तथा अवार्ड न. 2 दिनांक 12.04.1990 के मुताबिक इंतकाल संख्या 48870 के जरिए सरकार इस भूमि की मालिक दर्शाई गई है। भू-मलिकों द्वारा इस अवार्ड को न्यायलय में चुनौती दी गई परन्तु वे असफल रहे तथा यह अवार्ड स्थाई हो गया और सरकार इस जमीन की मालिक है। परन्तु शिवराज सिंह नायब तहसीलदार ने श्रीमति सोनिका जैन व अन्य के साथ मिलीभगत करके व उनसे भारी मात्रा में पैसा रिश्वत के तौर पर लेकर पत्र क्रमांक 84 दिनांक 05.01.2022 व पत्र क्रमांक 393 दिनांक 21.02.2022 के माध्यम से कुछ ऐसी सिविल याचिकाओं व अपील आदि जिनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं था का हवाला देकर उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त दिखा कर अनापत्ति (NDC) प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और जिसकी मदद से सोनिका जैन व अन्य शिकायतकर्ता की दूकान के रास्ता व उसके साथ लगती खाली पडी भूमि आदि पर कब्जा करने व सिवरेज पाईप लाईन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एंव सम्पदा अधिकारी ने भी इस बारे में इन लोगों को उक्त जमीन खाली करने व नाली तोडने से रोकने के निर्देश दिए थे। इस प्रकार श्री शिवराज सिंह नायब तहसीलदार द्वारा सोनिका जैन व अन्य के साथ मिलीभगत करके यह जानते हुए कि जमीन सरकारी है उनके पक्ष में बिना किसी आधार के NDC जारी कर दी। विभाग ने स्पष्ट रुप से कहा है कि भूमि कभी भी रिलिज नहीं की गई तथा अभी भी सरकार के पास अधिग्रहित है। शिकायतकर्ता ने अपनी इस शिकायत के माध्यम से अनुरोध किया है कि आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

2. इस मामले की जांच निरीक्षक सचिन भ्रष्टाचार निरोधक पंचकूला मण्डल पंचकूला के द्वारा पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला मण्डल पंचकूला की देख-रेख में की गई । जांच से प्रथम दृष्ट्या यह उजागर हुआ है कि अवार्ड न. 02 दिनांक 12.04.1990 को घोषित हुआ था, जो इस अवार्ड में ज्ञान चंद वगैरहा की 11 मरला भूमि अर्जित की गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय में CWP No. 4690/1989 अमीर चंद वगैरहा में माननीय उच्च न्यायालय ने 1-15 मरला Qua the Petitioner निरस्त किया गया, जो वर्तमान में 3-14 मरले भु-सम्पदा अधिकारी के

कब्जा में है जिसमें से ज्ञान चंद वगैरह की अर्जित 11 मरले भूमि का कब्जा आज भी भू-सम्पदा अधिकारी कुरुक्षेत्र के पास है ।

3. अवार्ड न. 13 दिनांक 21.02.2006 के तहत खसरा न. 3//16 की कुल भूमि 2 कनाल 2 मरला जिसमें से ज्ञान चंद वगैरहा का हिस्सा 4.5 मरला था व खसरा न. 3//17 की कुल भूमि 2 कनाल 18 मरला जिसमें से ज्ञान चंद वगैरहा का हिस्सा 6.5 मरला था, जिसे भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अर्जित किया गया । जो माननीय उच्च न्यायालय में CWP No 1123/2006 में आदेश दिनांक 12.03.2008 के अनुसार उपरोक्त अवार्ड की नोटिफिकेशन धारा 4 व धारा 6 व अन्य सभी भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। अवार्ड न . 13/2006 उपरोक्त में खसरा न. 3//16 व 3//17 में ज्ञान चंद वगैरहा की 11 मरले भूमि का कब्जा ज्ञान चंद वगैरहा के पास है ।

4. अवार्ड न. 27 दिनांक 08.02.2005 के तहत खसरा न. 3//16 में से 7 मरला भूमि व व खसरा न. 3//17 की कुल भूमि 2 कनाल भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अर्जित की गई थी जो माननीय उच्च न्यायलय में CWP No. 2289/2006 में पारित आदेश दिनांक 2007 के अनुसार धारा 4 व धारा 6 के अनुसार की अधिग्रहण प्रक्रिया का निरस्त कर दिया गया। जो अवार्ड न. 27/2005 में खसरा न. 3//16 व खसरा नं. 3//17 में ज्ञान चंद वगैरहा की भूमि का कुल हिस्सा 5 मरला था जो आज भी ज्ञान चंद वगैरहा के कब्जे में है। शिवराज सिंह नायब तहसीलदार कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी शहरी सम्पदा पचंकूला ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके, रिकार्ड की अनदेखी करके NDC पत्र क्रमांक 84 दिनांक 05.01.2022 व पत्र क्रमांक 393 दिनांक 21.02.2022 जारी किया जिसमें इस तथ्य को उजागर नहीं किया गया कि अवार्ड नं. 2 दिनांक 12.04.1990 में ज्ञान चंद वगैरह की अर्जित 11 मरले भूमि का कब्जा आज भी भू-सम्पदा अधिकारी कुरुक्षेत्र के पास है और इस प्रकार अमन जैन वगैरह के साथ मिलीभगत करके उन्हें अनुचित लाभ पंहुचाने व सरकार को वित्तीय हानि पंहुचाने की नीयत से आपराधिक कदाचार किया है । अतः इस संबंध में यह अनुशंसा की जाती है कि शिवराज सिंह नायब तहसीलदार, अमन जैन व अन्य के विरुद्ध धारा 13 (1) (a) r/w 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 318 (4), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग अंकित करके गहन अनुसंधान किया जाए ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इसके अतिरिक्त दौराने अनुसंधान जीत राम पटवारी, कपिल पटवारी व कर्मबीर कानूनगो की भूमिका की भी गहनता से जांच कर ली जाए ।

5. जांच अधिकारी की उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर अभियोग दर्ज करने की सिफारिश सहित अतिरिक्त महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 5767/1-1/ACB दिनांक 02.04.2025 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिसका निरीक्षण करने व सोच-विचार उपरांत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 58/17/2024-1V-III दिनांक 14.07.2025 के द्वारा इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 ए में वर्णित अनुमति प्रदान करते हुए शिवराज सिंह नायब तहसीलदार, कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी पंचकूला, अमन जैन व अन्य (प्राईवेट व्यक्तियों) के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के निर्देश जारी किये है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के पत्र क्रमांक 13579/आई-1 दिनांक 14.07.2025 अनुसार प्राप्त आदेशों की अनुपालना में शिवराज सिंह नायब तहसीलदार, अमन जैन व अन्य के विरुद्ध धारा 13 (1) (a) r/w 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 318 (4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग अंकित करने हेतु मन निरीक्षक द्वारा उक्त तहरीर तैयार करके आपके पास भेजी जा रही है जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पैशल जज अदालत पंचकूला व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए। अभियोग की पुलिस फाइल व असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाए ।

अजः थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकूला।

SD SURENDER

निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार

थाना राज्य सतर्कता एवं

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकूला।

दिनांक 15.07.2025 समयः- 06:10 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 09 दिनाँक 15.07.2025 धारा 13 (1) (a) r/w 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 318 (4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

सैक्टर-17 पंचकूला । अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, जिला पंचकूला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** surender singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 6pkl **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VIRENDER SINGH SANGWAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.